गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग
****

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख पहलें और शांति प्रक्रिया

1. **पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में सुधार:** वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2022 में विद्रोह की घटनाओं में 76%, सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या में 90% और नागरिकों की मृत्यु में 97% की कमी आई है।

2. **अफ्स्पा (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' में कमी:** पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के कारण, वर्ष 2022 में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को असम के 24 जिलों व आंशिक रूप में 1 अन्य जिले से, मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के अलावा, अफ्स्पा को असम की सीमा से लगे 16 पुलिस स्टेशनों/चौकी क्षेत्रों से धीरे-धीरे घटाकर नामसाई जिले के 2 पुलिस थाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। इससे पूर्व अफ्स्पा को क्रमशः वर्ष 2015 और 2018 में त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह से हटा दिया गया था।

3. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति समझौते/करार:**

(i) **एनएलएफटी (एसडी) समझौता (2019):** दिनांक 10.08.2019 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (एनएलएफटी/एसडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनएलएफटी (एसडी) के 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

(ii) **ब्रू समझौता (2020):** त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए दिनांक 16.01.2020 को ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) **बोडो समझौता (2020):** लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए असम के बोडो समूहों के साथ दिनांक 27.01.2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद एनडीएफबी समूहों के 1615 कैडरों ने दिनांक 30.01.2020 को आत्मसमर्पण किया और 9-10 मार्च 2020 को अपने गुटों को भंग कर दिया।

(iv) **कार्बी समझौता (2021):** असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 04.09.2021 को

एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दी और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।

(v) **आदिवासी शांति समझौता (2022):** असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए दिनांक 15.09.2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हो गए।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य शांति प्रक्रिया:

(i) यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) (वार्ता समर्थक) भारत सरकार के साथ अनिश्चित काल के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के तहत है।

(ii) एनएससीएन (आईएम) के साथ दिनांक 03.08.2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) नागालैंड के एनएससीएन (एनके) और एनएससीएन (आर) के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 28.04.2022 से दिनांक 27.04.2023 तक बढ़ा दिया गया है । नागालैंड के एनएससीएन (के-खांगो) के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 18.04.2022 से दिनांक 17.04.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के)निकी समूह के साथ दिनांक 08.09.2021 को एक वर्ष की अवधि के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए। एनएससीएन (के)निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 08.09.2022 से दिनांक 07.09.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

(v) मणिपुर के युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट [यूपीएफ] और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन [केएनओ] के साथ ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौतों को एक वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 29.02.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

(vi) मणिपुर के जेलियांग्रोंग युनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) समूह के साथ दिनांक 27.12.2022 को ऑपरेशन समाप्ति (सीओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और जेडयूएफ ने हिंसा छोड़ने और कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

5. सामूहिक समर्पण:

(i) विभिन्न संगठनों के 644 कैडरों (जैसे उल्फा/आई-50, एनडीएफबी-8, केएलओ-6, आरएनएलएफ-13, सीपीआई/माओवादी-1, एनएसएलए-87, एडीएफ-178 और एनएलएफबी-301) ने दिनांक 23.01.2020 को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गुवाहाटी (असम) में आत्मसमर्पण कर दिया।

(ii) विभिन्न भूमिगत कार्बी समूहों (जैसे केपीएलटी, केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए और केएलएफ) के 1040 नेताओं/कैडरों ने भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ गुवाहाटी (असम) में दिनांक 23.02.2021 को आत्मसमर्पण किया।

(iii) विभिन्न संगठनों के 708 अंडरग्राउंड कैडरों (यूजीपीओ-169, टीएलए-77, आरएनएलएफ-28, एडीएफ-61, यूपीआरएफ-29, एनएलएफबी-303 और एनएसएलए-41) ने दिनांक 27.01.2022 को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गुवाहाटी (असम) में आत्मसमर्पण किया।

(iv) यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ बराक वैली (यूडीएलएफ/बीवी-545) और ब्रू रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ़ यूनियन (बीआरए/यू-634) के कुल 1,179 कैडरों ने दिनांक 12.12.2022 को 335 हथियारों के साथ असम के हैलाकांडी जिले में आत्मसमर्पण किया।

6. अंतर्राज्यीय सीमा समझौते :

(i) असम-मेघालय : असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा की दशकों पुरानी समस्या को हल करने के लिए सीमा मतभेद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के संबंध में असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.03.2022 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। सीमा मतभेद के शेष 6 क्षेत्रों के समाधान के लिए दोनों राज्यों द्वारा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन कर दिया है।

(ii) असम-अरुणाचल प्रदेश : असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने दिनांक 15.07.2022 को नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में 123 गांवों के संबंध में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को कम करने के लिए एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। मतभेद के क्षेत्रों का समाधान करने के लिए दोनों राज्य सरकारों द्वारा 12 क्षेत्रीय समितियां अधिसूचित की गई हैं।

****